उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-50/2018/2032/92-1-2018-38(अधि0)/2017
लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश सं0-40/2018/1979/92-1-2018-38(अधि0)/2017, दिनांक 24-05-2018 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा प्रसाद, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-मुजफ्फरनगर से पीआईयू-सम्भल के पद पर किये गये स्थानांतरण को निरस्त करते हुये प्रशासनिक आधार पर पीआईयू-मुजफ्फरनगर से पीआईयू-कासगंज में तैनात किया जाता है तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कासगंज का अतिरिक्त रूप से कार्य देखे जाने हेतु शासन के अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3- श्री राजेन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2018/2032(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in